भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1323

09.12.2021 को उत्तर के लिए

जम्मू - कश्मीर में पेड़ों की अवैध कटाई

1323. श्री नीरज डांगी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत एक वर्ष में संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू - कश्मीर में पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उसके परिणाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) जी, नहीं। जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 में पेड़ों की अवैध कटाई के कुल 2199 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2021 तक 1166 मामले दर्ज किए गए हैं। पेड़ों की अवैध कटाई को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, पेड़ों का संरक्षण और उनका प्रबंधन करना मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है। देश के पेड़ संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए सुदृढ़ कानूनी संरचनाएं मौजूद हैं जिनमें राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम/राज्य विशिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम और नियम इत्यादि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के लिए इन अधिनियमों/नियमों के तहत बनाए गए उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करती हैं।

****